


फर्द अहकाम  
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
ओमकारा एरोट्टा बनाम समर्थरूप  
प्रकरण संख्या : 700/2022 ( धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्रवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में बन्धक सम्पत्ति के दस्तावेजों की रजिस्टर्ड फोटो प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	